रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 156] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 1982/भाद्र 12, 1904
No. 156] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1982/BHADRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 35-ई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1982

विषय : लाल चन्दन की लकड़ी से तैयार संसाधित इमारती लकड़ी का निर्यात

मि. सं. 6/8/81-ई.—उपर्युक्त विषय पर, निर्यात (नियंत्रण) आदेश सं. ई(सी)ओ 1977/ए एम (250), दिनांक 3 सितम्बर, 1982 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि लाल चंदन की लकड़ी से तैयार इमारती लकड़ी का निर्यात केवल आन्ध्र प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किए गए मूल-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाएगा । इस मूल प्रमाणपत्र में उनके द्वारा उस संसाधित इमारती लकड़ी का संकेत किया जाएगा जिसे वे संसाधित इमारती लकड़ी के विनिर्माण के लिए निर्यात करना चाहते हैं । संसाधित इमारती लकड़ी के विनिर्माण में उपयोग की गई लाल चंदन की लकड़ी की मात्रा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वयं निर्यात की अनुमति देने से पूर्व हर समय प्रमाणपत्र के पीछे लेखे में लिख दी जाएगी । लाल चंदन की तीलियां बनाने के लिए उपयोग की गई लाल चंदन की लकड़ी भी मूल प्रमाणपत्र के मद्दे प्राप्त की गई लकड़ी की मात्रा के मद्दे लेखे में लिखी जाएगी । अन्य शब्दों में, संसाधित इमारती लकड़ी और अन्य मदों के विनिर्माण के लिए निर्यातक द्वारा उपार्जित की गई लाल चन्दन की इमारती लकड़ी की सारी मात्रा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य वन-संरक्षक द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र में लेखांकित होनी चहिए ।

3. तद्नुसार, आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 जिल्द 2 के अनुबंध-2 की कंडिका 4-क और 5 "पृष्ठ-34" को निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"4-क तीलियों के आकार में लाल चंदन की लकड़ी आन्ध्र प्रदेश के मुख्य वन-रक्षक द्वारा लाल चंदन की लकड़ी का उपार्जन करने के लिए और निर्यात के समय तीलियों के विनिर्माण में खपत की गई मात्रा का लेखा रखने के लिए जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत अनुमति की जाएगी ।

5. लाल चंदन की लकड़ी को छोड़कर सभी प्रकार की संसाधित इमारती लकड़ी का निर्यात सभी अनुमेय गन्तव्यों पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत अनुमति की जाएगी । किन्तु लाल चंदन की लकड़ी

से तैयार की गई संसाधित इमारती लकड़ी भी केवल संसाधित इमारती लकड़ी को विनिर्माण के लिए लाल चंदन की लकड़ी का उपार्जन करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य वन-संरक्षक द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत अनुमति की जाएगी ।''

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 35-ETC(PN)/82

New Delhi, the 3rd September, 1982

Sub : Export of processed timber made out of Red Sanders wood.

F. No. 6/8/81-EI.—Attention is invited to the Exports (Control) Order, No. E(C)O, 1977/AM(250) dated 3rd September, 1982, on the above subject.

2. It has been decided that the export of processed timber made out of Red Sanders wood will be allowed only on production of Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests of Andhra Pradesh. This Certificate of Origin will indicate the quantity of Red Sanders wood acquired by them for the manufacture of the processed under which they intend to expert. The quantity of Red Sanders wood consumed in the manufacture of processed timber will be debited by the Customs authorities of the back of the Certificate itself each time before permitting export. Even the Red Sanders wood consumed for the manufacture of Red Sanders wood chips will be debited against the quantities of timber procured against the Certificate of Origin. In other words, the entire quantity of Red Sanders wood timber acquired by the exporter for manufacture of processed timber and other items should be accounted for in the Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh.

3. Accordingly, Paragraph 4A and 5 of Annexure II of Volume II of Import and Export Policy 1982-83 (page 34) shall be substituted by the following :—

"4A Red Sanders wood in the form of chips will be allowed under OGL. 3 on production of Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, for acquiring Red Sanders wood and accounting for the quantities consumed in the manufacture of chips at the time of expert.

5. Processed timber of all species, except of Red Sanders wood, will be allowed under OGL. 3 to all permissible destinations. However, processed timber made out of Red Sanders wood will also be allowed under OGL. 3, only on production of a Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, for acquiring the Red Sanders wood for manufacture of the processed timber."

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982